

## प्रेस नोट दिनांक 19.12.2025

प्रेस नोट दिनांक-19.12.2025

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अशोक कुमार को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में व0उ0नि0 अंकुर कैथवास मय हमराह उ0नि0 लतीफ खान, म0उ0 ज्योती सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारणी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64 (2)/115 (2)/333 BNS व 92B दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र पुत्र गिरधारीलाल नि०ग्राम हण्डौर शेखपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 38 वर्ष को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत गाजी चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र पुत्र गिरधारीलाल नि०ग्राम हण्डौर शेखपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 38 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

व0उ0नि0 अंकुर कैथवास मय हमराह उ0नि0 लतीफ खान, म0उ0 ज्योती सिंह थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दि०-19.12.2025

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा 01 वारणी अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना दिलीपपुर के उ0नि0 पवन कुमार यादव व म0उ0नि0 सारिका मय हमराह म0का0 वन्दना कुमारी म0का0 सगीता के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मा० न्याया० एसीजेएम कक्ष सं002 प्रयागराज वाद सं0 1343/21 अ0सं0 144/21 थाना शिवकुटी प्रयागराज से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्ता को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस टीम-

उ0नि0 पवन कुमार यादव व म0उ0नि0 सारिका मय हमराह म0का0 वन्दना कुमारी म0का0 सगीता, थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

**प्रेस नोट दि0-19.12.2025**

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

जहरीला पदार्थ खिलाने के प्रकरण में नामजद 01 अभियुक्त की गिरफ्तारी-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा जहरीला पदार्थ प्रकरण में 01 अभियुक्त अमन गौतम उर्फ सर्वेस गौतम को थाना क्षेत्रान्तर्गत देवसरा पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी मझिगवाँ थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना आसपुर देवसरा पर पर तहरीर दी है कि प्रतिवादी अमन गौतम पुत्र रामदौड़ निवासी सोनपुरा ढकवा थाना आसपुर देवसरा जनपद देवसरा प्रतापगढ़ जो रिश्ते में उसका भाँजा लगता है। अमन उपरोक्त द्वारा वादी पुत्री को दिनांक 17.12.2025 को जहरीला पदार्थ खिला दिया तथा दवा इलाज कराने पर मेरी पुत्री स्वास्थ्य हो गयी है और घर आ गयी है। इस संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 350/25 धारा 123 बीएनएस बनाम 01 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री विजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 सचिन पटेल मय हमराह का कैलाश यादव, का० वीरेन्द्र यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 350/25 धारा 123 बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त अमन गौतम उर्फ सर्वेस गौतम उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र रामदेवर गौतम नि० ग्राम सोनपुरा ढकवा हाल पता मझिगंवा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत देवसरा पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अमन गौतम उर्फ सर्वेस गौतम उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र रामदेवर गौतम निं० ग्राम सोनपुर ढकवा हाल पता मझिगंवा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० सचिन पटेल मय हमराह का कैलाश यादव, का० वीरेन्द्र यादव थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ ।

**प्रेस नोट दि०-१९.१२.२०२५**

**थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।**

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज एवं औषधि अधिनियम उल्लंघन से संबंधित प्रकरण में नामजद ०१ अभियुक्त मनोज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, प्रतापगढ़ द्वारा थाना कोतवाली देहात पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार फर्म मेसर्स साक्षी एजेन्सी, मोहनगंज, प्रतापगढ़ के प्रोपराइटर मनोज कुमार सिंह द्वारा कोडीनयुक्त औषधि Eskuf Cough Syrup (Schedule H-1) का गैर-चिकित्सकीय प्रयोजन हेतु क्रय एवं विक्रय किया गया, जबकि संबंधित फर्म लगभग १५ माह पूर्व बंद पाई गई तथा स्टॉक का भौतिक सत्यापन व विक्रय अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। जांच में यह भी पाया गया कि प्रोपराइटर द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया गया एवं लोक सेवक के निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना की गई। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात में मु०अ०सं० ३३३/२०२५ धारा २०६ (a), २७१, ३१८ (4), ३३८, ३३६ (3), ३४० (2) बीएनएस बनाम ०१ नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में उ०नि० अनूप कुमार यादव मय हमराह हे०का० रामबचन यादव देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुख्य बिर की सूचना पर मु०अ०सं० ३३३/२०२५ धारा २०६ (a), २७१, ३१८ (4), ३३८, ३३६ (3), ३४० (2) बीएनएस से संबंधित ०१ अभियुक्त मनोज कुमार सिंह पुत्र बिन्दा प्रसाद सिंह उम्र ५० वर्ष निवासी चौहानपुर खरसारा थाना मोतिगरपुर जनपद सुल्तानपुर उ०प्र० को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अपने पुराने मकान मालिक से मिलने मोहनगंज आया हुआ था उसी समय गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

०१. मनोज कुमार सिंह पुत्र बिन्दा प्रसाद सिंह उम्र ५० वर्ष निवासी चौहानपुर खरसारा थाना मोतिगरपुर जनपद सुल्तानपुर उ०प्र० ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अनूप कुमार यादव मय हमराह हे0का0 रामबचन यादव थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ ।

**प्रेस नोट दि0-19.12.2025**

**थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।**

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास से संबंधित अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त फूलचन्द्र गौतम को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया है-

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

वादी निवासी ग्राम सिंगारपुर चकवड़, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना बाघराय पर तहरीर दी गई कि दिनांक 06.06.2025 को पुरानी रंजिश के कारण फूलचन्द्र, मनोज, सनोज व सनोज की पत्नी द्वारा वादी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। आरोपी जाते समय गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। इस संबंध में थाना बाघराय में मु0अ0सं0-130/2025 धारा 109/352/351(3) बीएनएस बनाम 04 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल मय उ0नि0 देवी दयाल वर्मा मय हमराह हे0का0 सुभाषचन्द्र यादव मय का० ओमप्रकाश तोमर मय म0का० प्रगति गुप्ता द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-130/2025 धारा 109/352/351 (3) बीएनएस थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त फूलचन्द्र गौतम पुत्र मेड्झ नि० ग्राम सिंगारपुर चकवड़ थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 50 वर्ष को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तरा अभियुक्त का विवरण-**

01. फूलचन्द्र गौतम पुत्र मेड्झ नि० ग्राम सिंगारपुर चकवड़ थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 50 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राहुल मय उ0नि0 देवी दयाल वर्मा मय हमराह हे0का0 सुभाषचन्द्र यादव मय का० ओमप्रकाश तोमर मय म0का० प्रगति गुप्ता थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

**प्रेस नोट दि0-19.12.2025**

## थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

थाना अंतू पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना अंतू के उ0नि0 सुरेश कुमार यादव व उ0नि0 श्री गौतम बनर्जी के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर एसटी नं0 137/21 मु0अ0सं0 137/2020 धारा 323/504/506 भादवि व 3 (1)द, 3 (1)ध, 3 (2) 5क एससी/एसटी एक्ट थाना अन्तू प्रतापगढ़ से संबंधित वारंटी अभियुक्त सूरज मौर्या पुत्र शीतला प्रसाद मौर्या नि0 सराय महिमा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को उसके मुर्गी फार्म हाउस सराय महिमा से गिरफ्तार किया गया।

थाना अंतू के उ0नि0 शुभनाथ साहनी हमराह का रणजीत सिंह के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 52/1997 धारा 324/504/506/307 भादवि थाना अन्तू प्रतापगढ़ से संबंधित वारंटी अभियुक्त रामप्यारे पटेल पुत्र फुलाहल पटेल उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम भवानीपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सूरज मौर्या पुत्र शीतला प्रसाद मौर्या नि0 सराय महिमा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।
2. रामप्यारे पटेल पुत्र फुलाहल पटेल उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम भवानीपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सुरेश कुमार यादव व उ0नि0 श्री गौतम बनर्जी,  
उ0नि0 शुभनाथ साहनी हमराह का रणजीत सिंह, थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़ ।

**प्रेस नोट दि0-19.12.2025**

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह का0 योगेन्द्र सिंह के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु0नं0

371/98 धारा 379/411 IPC थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारंटी अभियुक्त मूलचन्द्र पुत्र गुरुदीन निवासी ग्राम संडीला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष को राजगढ़ बाजार से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मूलचन्द्र पुत्र गुरुदीन निवासी ग्राम संडीला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह का0 योगेन्द्र सिंह थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

**प्रेस नोट दि0-19.12.2025**

**थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।**

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त/ अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना कुण्डा के उ0नि0 अंकित सिंह, महिला का० अनुराधा सिंह के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मुकदमा नंबर 246/17 राजपति बनाम दीपचन्द्र धारा - 31 घरेलू हिंसा संरक्षण अधि० से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त/ अभियुक्ता 1. रामस्वरूप पुत्र सरजू निवासी ग्राम काजीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ उम्र 64 वर्ष, 2. रूपहिन पत्नी रामस्वरूप निवासी ग्राम काजीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 62 वर्ष को उनके घर ग्राम काजीपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का विवरण-

1. रामस्वरूप पुत्र सरजू निवासी ग्राम काजीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ प्रतापगढ़।
2. रूपहिन पत्नी रामस्वरूप निवासी ग्राम काजीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अंकित सिंह, महिला का० अनुराधा सिंह, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

**प्रेस नोट दि0-19.12.2025**

**थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।**

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 मनोज कुमार के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर केस न0-6638/2021 अ0स0-468/07 धारा 379/411 भादवि थाना को0 नगर प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारंटी रजत कुमार सिंह उर्फ गोलू पुत्र विजय बहादुर सिंह उम्र 39 वर्ष निवासी अजीतनगर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 प्रशांत दुबे मय हमराह का मलखान के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर केस न0-4923/2023 अ0स0-598/2021 धारा 147/148/149/323/308/504/506 भादवि थाना को0नगर प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त सागीर अहमद पुत्र हबीब उम्र 51 वर्ष निवासी पूरेमाद थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह का0 सागर सिंह के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर केस न0-1501569/2011 अ0स0-394/2009 धारा 437/427 भादवि थाना को0 नगर प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त रमेश शुक्ला पुत्र श्याम शुक्ला उर्फ श्याम नारायण उम्र 39 वर्ष निवासी घाटवारीयापुर दहिलामऊ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- रजत कुमार सिंह उर्फ गोलू पुत्र विजय बहादुर सिंह उम्र 39 वर्ष निवासी अजीतनगर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।
- सागीर अहमद पुत्र हबीब उम्र 51 वर्ष निवासी पूरेमाद थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।
- रमेश शुक्ला पुत्र श्याम शुक्ला उर्फ श्याम नारायण उम्र 39 वर्ष निवासी घाटवारीयापुर दहिलामऊ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 मनोज कुमार,  
उ0नि0 प्रशांत दुबे मय हमराह का मलखान,  
उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह का0 सागर सिंह,  
थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दि0-19.12.2025

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात के उपनिरीक्षक अजीत सिंह मय हमराह आरक्षी चंद्रकेश व आरक्षी विकास जायसवाल के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुख्यिका की सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 854/2022 धारा 147 149 323 427 452 504 506 भादवि से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त अजय पटेल पुत्र स्वर्गीय लालता प्रसाद निवासी भागेसरा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अजय पटेल पुत्र स्वर्गीय लालता प्रसाद निवासी भागेसरा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ >

पुलिस टीम-

उपनिरीक्षक अजीत सिंह मय हमराह आरक्षी चंद्रकेश व आरक्षी विकास जायसवाल थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दि0-19.12.2025

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देल्हूपुर के चौ0प्र0 रंगोली कनेस्ता उ0नि0 अतुल यादव, हे0का0 सुनील यादव के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुख्यिका की सूचना पर मु0नि0 5807/24 अ0सं0 208/2023 धारा 498क/323/504 भा0द0वि0 व 3/4 DP.ACT थाना महिला थाना जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारंटी अभियुक्त धर्मेन्द्र वर्मा पुत्र स्व0 रामू प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम नौबस्ता थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को राजगढ़ बाजार से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

धर्मेन्द्र वर्मा पुत्र स्व0 रामू प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम नौबस्ता थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

पुलिस टीम-

चौ0प्र0 रंगोली कनेस्ता उ0नि0 अतुल यादव, हे0का0 सुनील यादव थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दि0-19.12.2025

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह का0 कमलेश यादव, का0 रत्नेश यादव के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु0आ0सं0 803/2013 धारा 147, 336, 323, 504, 506 भाववि से संबंधित 02 वारंटी अभियुक्त 01. संजय सोनी पुत्र राधेश्याम सोनी 02. अजय सोनी उर्फ लाला पुत्र राधेश्याम सोनी निवासीगण सोनारन मोहल्ला सिटी थाना कोवताली देहात जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. संजय सोनी पुत्र राधेश्याम सोनी 02. अजय सोनी उर्फ लाला पुत्र राधेश्याम सोनी निवासीगण सोनारन मोहल्ला सिटी थाना कोवताली देहात जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-

उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह का0 कमलेश यादव, का0 रत्नेश यादव थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दि0-19.12.2025

थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महेशगंज के उ0नि0 शिवा प्रजापति मय हमराह का0 विपिन कुमार, का0 रामवीर सिंह के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर केसनं0 127/24 धारा 128 सीआपीसी थाना महेशगंज से संबंधित वारंटी अभियुक्त हरिकेश गौतम पुत्र रामखिलावन गौतम निवासी ग्राम श्रीपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

हरिकेश गौतम पुत्र रामखिलावन गौतम निवासी ग्राम श्रीपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-

उ0नि0 शिवा प्रजापति मय हमराह कां0 विपिन कुमार, कां0 रामवीर सिंह थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

**प्रेस नोट दि0-19.12.2025**

**थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।**

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मानिकपुर के उ0नि0 उमेश प्रताप सिंह मय हमराह के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु0नि0 118/17 थाना कुण्डा से संबंधित वारंटी अभियुक्त सुशील कुमार पुत्र सालिकराम निवासी मौहल्ला रानापट्टी वार्ड सं08 नगर पंचायत मानिकपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

सुशील कुमार पुत्र सालिकराम निवासी मौहल्ला रानापट्टी वार्ड सं08 नगर पंचायत मानिकपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-

उ0नि0 उमेश प्रताप सिंह मय थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।